

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्थान राजस्व विभाग - 2025

राजस्व ग्राम <u>मूतादेवी</u> पंचायत <u>खडान</u> मूअंनिंवृत्त <u>आबूरोड</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	27	222	0.2529 घ०	1. सौमा पुत्र पोगिता हि. 1/3 जाति-गरालिया सा. देह खातेदार गहिन हि. 1/3 (पूर्ण खता) राजस्थान मरुभूमि ग्रामीण बैंक शाखा किवटली शेष खाता बफ्टर जमाबंदी	1. सौमा पुत्र पोगिता हि. 1/3 जाति-गरालिया सा. देह खातेदार गहिन हि. 1/3 (पूर्ण खता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा किवटली	

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् 2075
-2078 (वर्ष 2019) से ग्रामीण के
उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना
प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136
राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के
तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
आबूरोड के समक्ष श्रवण योग्य है।

Bhambh
24/12/25
पटवारी (मूअंनिंवृत्त)

दिनांक _____ पटवारी खडान
तहसील-आबूरोड (सिरोही)

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया
गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः
उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना
उचित है।

दिनांक 24/12/25

ह० मूअंनिंवृत्त
आबूरोड

प०हल्का खडान
मूअंनिंवृत्त आबूरोड
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के
मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार
शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण
बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व
का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

ह० राजस्व अधिकारी,
तहसीलदार आबूरोड
जिला-सिरोही

प०हल्का खडान
मूअंनिंवृत्त आबूरोड
राजस्व अधिकारी _____ की
रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के
आधार पर उपरोक्तानुसार
शुद्धीकरण किये जाने के
आदेश प्रदान किये जाते है।
हाल जमाबंदी में जमत
किया जावे।
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
ह० उपखण्ड अधिकारी